

सरस्वती प्रसाद, आई.ए.एस.

संयुक्त सचिव

डी.ओ.सं.जी-11012/4/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

12वा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

फोन नं. 24362705 फैक्स: 24361063

ई-मेल js.tsc@nic.in

दिनांक-6 मई, 2015

प्रिय महोदय/महोदया

आप अवगत हैं कि भारत के महत्वेषापाल ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)/निर्मल भारत अभियान (एनबीए) पर अखिल भारतीय कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा की है। इस लेखा परीक्षा की मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट इस मंत्रालय को भेजी गई है जिसमें उद्घाटित तथ्यों पर टिप्पणी मांगी गई है।

2. चूँकि टीएससी/एनबीए का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है, अतः लेखा परीक्षा के कथनों पर जवाब देने से पूर्व राज्य सरकार से टिप्पणी लेना अनिवार्य है। राज्य सरकारों को कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति मंत्रालय के दिनांक 20.03.2015 के डी.ओ संख्या जी 11012/4/2015 एसबीएम के माध्यम से भेजी गई थी और अपने राज्य के संबंध में लेखा परीक्षा अनुच्छेद पर टिप्पणी देने हेतु प्रधान सचिव/सचिव लेखा-परीक्षा को 20 मार्च 2015 को ई-मेल भी भेजा गया था। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा बार-बार मांगने पर भी आपके राज्य से इस संबंध में हमें अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

3. आप इस बात से सहमत होंगे कि कार्य निष्पादन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर समयबद्ध रूप में देना होता है। राज्यों से सूचना प्राप्त न होने के कारण हमने पहले ही जवाब के लिए अत्यधिक समय ले लिया है।

4. यदि आप अपने संबंधित अधिकारी/ कार्मिकों को उपयुक्त निर्देश दें तथा 10 मई, 2015 तक निश्चित रूप से अपने राज्य की टिप्पणियाँ भिजवाना सुनिश्चित करें तो मैं आपका आभारी रहूँगा।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने संबंधित अधिकारी/ कार्मिकों को 10 मई, 2015 तक निश्चित रूप से इस मंत्रालय को टिप्पणियाँ भेजने का उपयुक्त निर्देश दें।

सादर,

भवदीय,

(सरस्वती प्रसाद)

सेवा में,

प्रधान सचिव,

(ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी)

अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडीशा, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिल नाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिमी बंगाल।